पत्र संख्या-आई0टी0अनुभाग -नोटिस एवं कर निर्धारण / (2016-2017) / 1424 / 1617071 / वाणिज्य कर

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0 अनुभाग)

दिनांक : लखनऊ : मार्च 24 , 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

शासनादेश दिनांक 15-12-2016 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008 के नियम -72 में संशोधन करते हुए इलेक्ट्रानिक माध्यम से किसी भी नोटिस, आह्वाहन पत्र या आदेश की Scan की गयी प्रति Electronically Generated व Digitally Signed की प्रति ई-मेल से अथवा अनुलिपि संदेश के माध्यम से प्रेषित किये जाने की विधिक मान्यता प्रदान की गयी हैं। तत्क्रम में मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1002 दिनांक 13-01-2017 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी / पंजीयन प्राधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर का साफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन तथा कर निर्धारण अधिकारी/ पंजीयन प्राधिकारी तथा Login करने के पश्चात Online generated notice / Order / Registration Certificate Digitally Signed जारी करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके दृष्टिगत मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1127 /1617061 दिनांक 14-02-2017 द्वारा समस्त पंजीयन प्रमाण पत्र डिजिटल सिग्नेचर के पश्चात ही निर्गत किये जाने सम्बंधी निर्देश भी दिये जा चुके हैं। इसी क्रम में विभाग में प्रचलित E- Assessment Module के माध्यम से Generated Notices तथा Orders को भी Digitally Sign कर व्यापारी के ई-मेल पर प्रेषित किये जाने सम्बंधी प्रक्रिया विकसित की गयी है।

पूर्व में जारी मुख्यालय के परिपत्रसं0 आई0टी0-एन0आई0सी0 साफ्टवेयर/2014-15/ 244/ 1415039 दिंनाक 30-06-2014, परिपत्रसं0 आई0टी0-एन0आई0सी0 साफ्टवेयर/2014-15/ 245/ 1415040 दिंनांक 30-06-2014 तथा परिपत्रसं0 आई0टी0-एन0आई0सी0 साफ्टवेयर/2014-15/ 322/ 1415051 दिंनाक 22-07-2014 द्वारा कर निर्धारण नोटिस तथा आदेशों को आन लाइन जनरेट करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश यथावत रहेगें तथा आन लाइन जनरेटेड **नोटिसों तथा आदेशों को Digitally Sign करने की प्रक्रिया निम्नवत है :-**

1. E-Orders तथा E-Notices को Digitally Sign करने से पूर्व सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी का DSC Vyas Central में Register होना आवश्यक है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जिस कम्प्यूटर पर Assessment का कार्य किया जा रहा हो उस कम्प्यूटर में capicom.dll file का सही वर्जन तथा Security Update for capicom भी रजिस्टर होना चाहिए। इस सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश Vyas Central के Login Page पर उपलब्ध हैं।

2- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Vyas Central पर Login किया जायेगा **(सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी का DSC USB Port पर लगा होना आवश्यक है।)**

3- इसके पश्चात Menu Bar में Assessement Tab पर Click कर Generate Notice / Order पर Click किया जायेगा।

Digitally Sign Notices Generate करने हेतु प्रक्रिया निम्नवत् हैं :-

1- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Vyas Central पर Login किया जायेगा **(सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी का DSC USB Port पर लगा होना आवश्यक है।)**

2- इसके पश्चात Menu Bar में Assessement Tab पर Click कर Generate Notice / Order पर Click किया जायेगा।

3- Notice and Order menu bar में E-Notice tab पर Click कर First Notice में Edit पर Click किया जायेगा।

क्रमश 2 पर

4-इसके पश्चात FirstNotice Generation / Updation Page में Type of Notices में drop down में सम्बंधित Type of Notice को Select करने के पश्चात सम्बंधित Office तथा Notice को Select कर Verify करने हेतु Submit किया जायेगा।

6- तदोपरान्त सम्बंधित Notice Window में प्रदर्शित होगी तथा Window में उपलब्ध Verify बटन पर Click करने पर Digital Signature सम्बंधित Pop up Window प्रदर्शित होगी जिसे OK करने पर Record Succcessfully saved & Verified का Message प्रदर्शित होगा।

7- Digitally Signed E-Notice Generate होते ही सम्बंधित व्यापारी के E-Service Login पर Download करने हेतु PDF file भी उपलब्ध हो जायेगी। साथ ही सम्बंधित व्यापारियों के Mobile तथा E-mail पर Digitaly Sign Order को Download करने सम्बंधी URL की सूचना भी SMS तथा E-mail के माध्यम से प्रेषित हो जायेगी।

8- E- Notice को Print करने हेतु E-Notice First Notices->Print के Option पर Click किया जायेगा।

Digitally Sign Order Generate करने हेतु प्रक्रिया निम्नवत् है :

1- Notice and Order menu bar में E-Assessment Orders tab पर Click कर Orders में Order verify पर Click किया जायेगा।

2- इसके पश्चात Order Menu में Type of orders drop down में सम्बंधित Type of Order को Select करने के पश्चात सम्बंधित Office तथा Order को Select कर Verify करने हेतु Submit किया जायेगा।

3- तदोपरान्त सम्बंधित कर निर्धारण आदेश Window में प्रदर्शित होगा तथा Window में उपलब्ध Verify बटन पर Click करने पर Digital Signature सम्बंधित Pop up Window प्रदर्शित होगी जिसे OK करने पर Record Succcessfully saved & Verified का Message प्रदर्शित होगा।

4- Digitally Signed E-Order Generate होते ही सम्बंधित व्यापारी के E-Service Login पर Download करने हेतु PDF file भी उपलब्ध हो जायेगी। साथ ही सम्बंधित व्यापारियों के Mobile तथा E-mail पर Digitally Signed Order को Download करने सम्बंधी URL की सूचना भी SMS तथा E-mail के माध्यम से प्रेषित हो जायेगी।

5- E-Order को Print करने हेतु e-Assessment Orders Orders→ Print के Option पर Click किया जायेगा।

अपने अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को उपरोक्त प्रक्रिया से अवगत कराते हुए निर्देशित करने का कष्ट करें कि यह प्रक्रिया VYAS पर दिनांक 01-04-2017 से live कर दी जायेगी। अनिवार्य रुप से दिनांक **01-04-2017** से समस्त E-Orders तथा E-Notice उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार Digitally Sign करते हुए निर्गत किये जायें। समस्त नोटिस एवं कर निर्धारण आदेश की PDF file का प्रारुप व्यापारी के रजिस्टर्ड ई-मेल आई0डी0 पर प्रेषित की जायेगी। जिन व्यापारियों के ई-मेल आई0डी0 रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके ई-मेल आई0डी0 रजिस्टर कराना सुनिश्चित करें।

ऐसे व्यापारी जिसके ईमेल आई0डी0 विभाग के पास नहीं है उनकी ईमेल आई0डी0 प्राप्त होने तक उनको पूर्व की भाँति उक्त PDF Format में जनरेटेड नोटिस तथा आर्डर की प्रति प्रिन्ट करके Process Server के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

24/03/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।